

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

धन्नाराम

बनाम

अप्रार्थीगण

केलाशी वगौरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 73 / 2016

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इंगिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
12/07/2016	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 एव सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री मुन्नीलाल कडवासरा ने पेश कर प्रकरण मे अस्थाई व्यादेश जारी करने हेतु एक पक्षिय बहस सुनने का निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण की एक पक्षिय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतित होता है। अतः अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक मौजा रोहिणा मे प्रार्थी के खेत ख. न. 85 रकबा 21.09 बीघा मे किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे तथा न किसी अन्य से करावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। नोटिस जरिये रजिड डाक से भिजवाये जावे। पत्रावली दिनांक 05.08.2016 को पेश हो।</p>	
5/8/16	<p>वकुलाय डपु अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री दशरथ सिंह राठोड ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया जावा हेतु समय यादत हो पत्रावली दिनांक 29/8/16 को पेश हो।</p>	
29/8/16	<p>वकुलाय डपु पत्रावली वास्ते जावा प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 16/9/16 को पेश हो।</p>	

(सहायक कलक्टर)
मुकाम जायल (नागौर)
(एस. डी. एम.) जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर
(एस. डी. एम.) जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर
(एस. डी. एम.) जायल (नागौर)

29/12

पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29.12.17 को प्रस्तुत करें।

पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता

29.12.17

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6.04.18 को प्रस्तुत करें।

DL

पत्रकार/पत्रकारान के अधिवक्ता

6.4.18

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 2.7.18 को प्रस्तुत करें।

DL

22.5.18

वकील राधाश्यामजी चौधरी ने धारणा पत्र पेश कर निवेदन किया कि धारणा पत्र को चलाया नहीं जाता है इसलिए पत्रावली आज पेश की जाये वकील धारणा के निवेदन पर पत्रावली आज न्याय भवन के डाट सिविल में भयान सेवा डेस्क पर डोड में पेश हुई। वकील धारणा के धारणा पत्र से निवेदन किया कि धारणा उपरोक्त कानून का धारणा पत्र चलाया नहीं जाता है यदि विशेष खारिज कर दिया जाये। वकील धारणा के निवेदन पर धारणा पत्र को यदि विशेष खारिज किया जाता है पत्रावली केवल शुभार होकर इकट्ठा बाकी हो।

संपादन अधिकारी
जायल, जिला नगर